निविदा के साथ निम्नलिखित कागजात निम्न क्रम में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(क)
- a. परिमाण विपत्र का मूल्य (डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल में)
- b. अग्रधन की राशि (मूल में)
- c. नगर विकास एवं आवास विभाग में निबंधन की प्रति।
- d. वैध चरित्र प्रमाण पत्र (छाया प्रति)
- e. G.S.T निबंधन एवं अद्यतन रिटर्न की प्रति।
- f. पैन (छाया प्रति)
- g. Download किया गया एन0 आई0 टी0 के साथ परिमाण विपत्र।
- h अद्यतन ITR की प्रति।

(ख) **उपरोक्त क्रम में संबंधित दस्तावेज संलग्न करने के उपरान्त प्रत्येक पृष्ठ में (अग्रधन की राशि एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट को छोड़कर) पृष्ठ संख्या अंकित कर स्वप्रमाणित (हस्ताक्षर) किया जाना आवश्यक है।**

2. बिना कारण बताये निविदा या किसी विशेष कार्य को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

3. **निविदा के साथ अग्रधन की राशि तीन या पांच वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वॉ निर्गम) तीन या पॉच वर्षीय सावधि पासबुक (पोस्ट ऑफिस का)/ सावधि जमा, जो नगर आयुक्त, रॉची नगर निगम, रॉची के पदनाम से प्रतिज्ञित अद्यतन (प्लेज) हो, देय होगा।**

4. परिमाण विपत्र का मूल्य (जो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा), रांची नगर निगम में डीमांड ड्राफट (प्रत्येक ग्रप के लिये अलग से) **नगर आयुक्त, रॉची नगर निगम, रॉची के नाम** से जमा करना होगा एंव परिमाण विपत्र रॉची नगर निगम के वेवसाईट **www.ranchimunicipal.com** से उपरोक्त निर्धारित तिथि के अन्दर Download किया जाना है तथा डीमांड ड्राफ्ट (प्रत्येक ग्रुप के लिये अलग से) संख्या उसमें अंकित करते हुये निविदा के साथ अलग Cover में निर्धारित तिथि को निगम में जमा करगें।

5. इस निविदा के सबंध में विस्तृत जानकारी निविदा प्रकाशन के उपरांत किसी कार्य दिवस में नगर निगम के Horticulture Cell से प्राप्त किया जा सकता है।

6. कार्य की प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मूल्य में परिवर्तन हो सकता है। अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार ही उक्त राशि देय होगी।

7. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा। निविदा से सबंधित विशेष शर्त परिणाम विपत्र के साथ संलग्न रहेगा जो एकरारनामा का अंग होगा।

8. पथ निर्माण विभाग, झारखंड सरकार, रॉची के संकल्प सं0 2146 (S), दिनांक 09.09.2020 के आलोक में 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत below तक की राशि का 20 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत से अधिक below की राशि का 30 प्रतिशत अतिरिक्त जमानत का प्रावधान लागू होगा।

9. निविदा के पूर्व स्थल का निरीक्षण संवेदक कर लें तथा स्थिति से संतुष्ट होकर ही निविदा दे। इस सबंध में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। संवेदक को किसी प्रकार का यंत्र–सयंत्र एवं सामग्री निगम द्वारा उपलब्ध नही कराया जायेगा।

10. आवंटित कार्य का किसी भी परिस्थिति में Sub- letting मान्य नही होगा।

11. आपूर्ति किये गये गमलों को 06 माह तक क्षति होने पर उसकी मरम्मति अथवा उसके स्थान पर नया गमला उसी स्थान पर रखवाना होगा। आपूर्ति उपरांत उपस्थापित विपत्र का 90% राशि का भुगतान किया जायेगा शेष 10% राशि का भुगतान 06 माह के उपरांत कार्य संतोषप्रद पाये जाने किया जायेगा। EMD की राशि कार्य पूर्ण होने के उपरान्त 06 माह में विमुक्त की जायेगी।

12. कार्य आवंटित किये जानें के पश्चात संवेदक Horticulture Cell शेष अग्रधन की राशि तीन या पांच वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (8वॉ निर्गम) तीन या पॉच वर्षीय सावधि पासबुक जो **नगर आयुक्त, रॉची नगर निगम, रॉची के पदनाम से प्रतिज्ञित (प्लेज)** हो, एक सप्ताह के अन्दर जमा कर एकरारनामा करना सुनिश्चत करगें। एकरारनामा ससमय नही किये जाने पर आवंटित कार्य रदद् कर दिया जायेगा तथा भविष्य में कोई भी कार्य आवंटित नही किया जायेगा न ही कार्य आवंटन के संबंध में कोई दावा मान्य होगा।

13. निविदा निष्पादन समिति द्वारा न्यूनतम दर के स्वीकृति उपरांत एक से ज्यादा निविदा दाता को क्रयादेश निर्गत किया जा सकता है।

14 कार्यादेश निर्गत की तिथि से सात 07 दिनों के अंदर आपूर्ति सुनिश्चित करना होगा।

14. प्रत्येक RCC गमला पर RMC लिखा होना चाहिए एवं गमला को निगम के द्वारा निर्धारित रंग से रंगना होगा।

16. सभी bidders को निविदा के समय अपना Mobile No. एवं Whatsapp No./Email ID स्पष्ट अंकित करना होगा, ताकि आवश्यक हो, तो उनसे सम्पर्क किया जा सके।

उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन नही किये जाने पर संबंधित निविदायें अमान्य कर दी जायेगी।

कार्यपालक अभियंता
रांची नगर निगम, रांची।

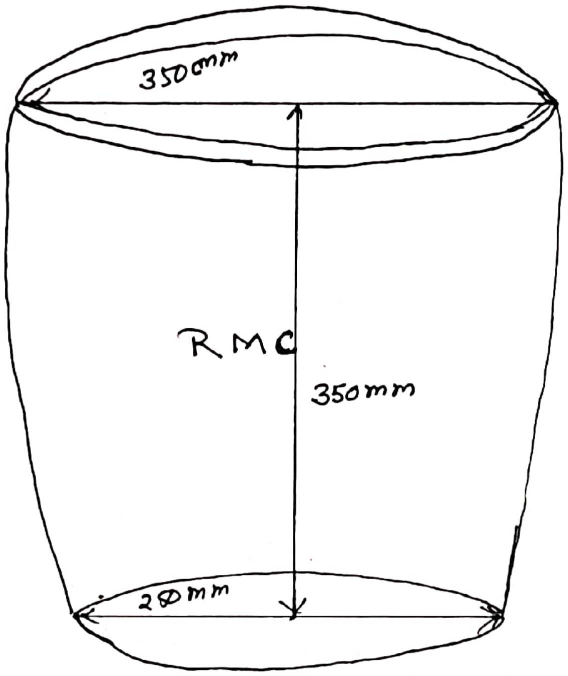

CIRCULAR POT

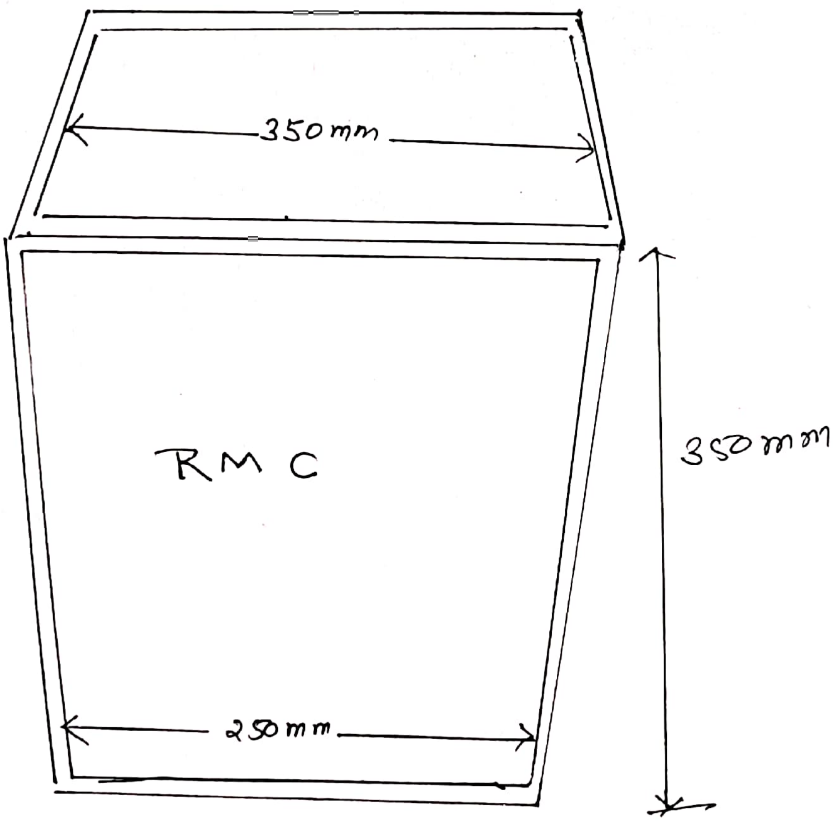

SQUARE RCC POT